



CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

Ref. No.: CFCL/SE/2024-25/48

July 11, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sir,

Please find enclosed copies of notice to shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund published on July 11, 2024 in English and Hindi newspapers – Business Standard and Dainik Bhaskar (Kota Edition).

You are requested to notify your constituents accordingly.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **Chambal Fertilisers and Chemicals Limited**

(Anand Agarwal)

Chief Financial Officer

Encl.: As above.



CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

(CIN: L24124RJ1985PLC003293)

Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN-325 208

Tel No. 0744-2782915; Fax No. 07455-274130

Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025

Tel. Nos.: +91-11-46581300, 41697900; Fax No.: +91-11-40638679

Email: isc@chambal.in; Website: www.chambalfertilisers.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

In pursuance of IEPF Rules, the Company has sent necessary intimation to the concerned shareholders who have not claimed/ encashed dividend for the Financial Year 2016-17 and all subsequent dividends declared by the Company and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority. The details of such shareholders (including the names of such shareholders and their Folio No. or DP ID- Client ID) have been uploaded on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com under the section "Investors". The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

The concerned shareholders are requested to claim their unclaimed dividend for the Financial Year 2016-17 onwards by submitting requisite documents, as mentioned in the letter/intimation sent by the Company, to the Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Finserv Limited, Plot no.2, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi - 110 048.

In case a valid claim for the unclaimed dividend is not received by M/s. Zuari Finserv Limited on or before October 11, 2024, the Company shall transfer the concerned shares to IEPF Authority in accordance with the procedure prescribed under IEPF Rules. The original share certificates in respect of such shares which are held in physical form by the concerned shareholders, shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholders may kindly note that the shares transferred to IEPF Authority including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules.

Further, the shareholders holding shares in physical form are requested to furnish their Permanent Account Number (PAN), nomination, contact details, bank account details and specimen signature for their corresponding folio numbers to the Share Transfer Agent of the Company, if not furnished yet.

In case the shareholders have any queries in this regard, they may contact the Investor Service Centre of the Company at "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi-110025, Tel: 011-46581300, 41697900, email: isc@chambal.in or Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Finserv Limited, Plot no.2, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi - 110048, email: rta@adventz.zuairmoney.com.

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

Sd/-

Tridib Barat

Vice President - Legal & Company Secretary

Place : New Delhi

Date : July 10, 2024

बिज़नेस स्टैंडर्ड, जुलाई 11, 2024



चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L24124RJ1985PLC003293)

पंजीकृत कार्यालय: गढ़ेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन - 326 208

टेलीफोन नं.: 0744-2782915; फ़ैक्स नं.: 07455-274130

कॉर्पोरेट कार्यालय: 'कॉर्पोरेट वन', प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110 025

टेलीफोन नं.: +91-11-46581300, 41697900; फ़ैक्स नं.: +91-11-40638679

ई-मेल: isc@chambal.in; वेबसाइट: www.chambalfertilisers.com

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ('आईडपीएफ नियम'), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से अदत्त अथवा बेदावा रहे हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ('आईडपीएफ प्राधिकरण') के डी-मैट खाते में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

आईडपीएफ नियम के अनुसरण में कम्पनी ने उन सभी अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2016-17 एवम् उसके उपरान्त कम्पनी द्वारा घोषित सभी लाभांश बेदावा/अदत्त हैं तथा जिनके अंश आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना भेज दी है। संबंधित अंशधारकों का विवरण (जिसमें इन अंशधारकों के नाम और उनके फोलियो संख्या या डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी शामिल हैं) कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर 'investors' अनुभाग के अंतर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं।

संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवम् उसके उपरान्त के अपने बेदावा लाभांश को दावा करने हेतु कम्पनी द्वारा प्रेषित पत्र/सूचना में उल्लेखित यांचित दस्तावेजों को कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2, जगरुदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 048 को भेजें।

यदि बेदावा लाभांश का कौन सा दावा मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड को 11 अक्टूबर, 2024 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बंधित अंशों को आईडपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। अंशधारक, जिनके ये सम्बंधित अंश भौतिक रूप में हैं, उनके मूल अंश प्रमाण पत्र स्वयंसेवक रद्द हो जायेंगे तथा अपरक्राम्य मान लिए जायेंगे।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंशों को सभी उपायुक्त तामों सहित, यदि कोई हो, आईडपीएफ प्राधिकरण से आईडपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपने संबंधित फोलियो संख्या के लिए अपना स्यादी खाता संख्या (पिन), नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें, यदि पहले से नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निदेशक सेवा केन्द्र, 'कॉर्पोरेट वन', प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110025, टेलीफोन नं.: +91-11-46581300, 41697900, ई-मेल isc@chambal.in अथवा कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2, जगरुदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110048, ईमेल pta@advent2.zuarimoney.com से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता/-

त्रिदिब बराट

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 10 जुलाई, 2024

वाईड प्रेसिडेंट - लिगल एवं कम्पनी सचिव

दैनिक भास्कर, कोटा, जुलाई 11, 2024



चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L24124RJ1985PLC003293)

पंजीकृत कार्यालय: गढ़ेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन - 325 208

टेलीफोन नं.: 0744-2782915; फ़ैक्स नं.: 07455-274130

कॉर्पोरेट कार्यालय: "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110 025

टेलीफोन नं.: +91-11-46581300, 41697900; फ़ैक्स नं.: +91-11-40638679

ई-मेल: iso@chambal.in; वेबसाइट: www.chambalfertilisers.com

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (शिक्षा, संपरीक्षा, आरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईडपीएफ नियम), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बन्धित अंशों जिनके लामांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से अदत्त अथवा बेदावा रहे हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईडपीएफ प्राधिकरण) के खी-मिट खाते में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। आईडपीएफ नियम के अनुसरण में कम्पनी ने उन सभी अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उसके उपरान्त कम्पनी द्वारा घोषित सभी लामांश बेदावा / अदत्त हैं तथा जिनके अंश आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने हैं आवश्यक सूचना भेज दी है। संबंधित अंशधारकों को विवरण (जिसमें इन अंशधारकों के नाम और उनके फोलियो संख्या या डीपी आईडी-क्लाइन्ट आईडी शामिल हैं) कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors" अनुभाग के अंतर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं। संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उसके उपरान्त के अपने बेदावा लामांश को दावा करने हेतु कम्पनी द्वारा प्रेषित पत्र / सूचना में उल्लेखित यांचित दस्तावेजों को कम्पनी को शेरर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2, जमरुदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 048 को भेजें।

यदि बेदावा लामांश का देव दावा मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड को 11 अक्टूबर, 2024 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईडपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। अंशधारक, जिनके ये सम्बन्धित अंश भौतिक रूप में हैं, उनके मूल अंश प्रमाण पत्र स्वस्थ रखे जा जायेंगे तथा अपरक्राम्य मान लिए जायेंगे।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंशों को सभी उपाजित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईडपीएफ प्राधिकरण से आईडपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भौतिक रूप में शेरर रखने वाले शेरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कम्पनी के शेरर ट्रांसफर एजेंट को अपने सम्बन्धित फोलियो संख्या के लिए अपना रथायी खाता संख्या (पिन), नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें, यदि पहले से नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हों तो वे कम्पनी के निवेश सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110025, टेलीफोन नं.: +91-11-46581300, 41697900, ई-मेल: iso@chambal.in अथवा कम्पनी के शेरर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2, जमरुदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110048, ईमेल: ita@advantz.zuarimoney.com से संपर्क कर सकते हैं।

कृत चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता / -

त्रिदिब बरशाट

वाइस प्रेसिडेंट - लिगल एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 10 जुलाई, 2024